न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 36 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांटस	रेस्पोडेंटगण
1. चेतनराम पुत्र प्रभूराम का.मु. 1/1शंकराराम पुत्र चेतनराम 1/2आलाराम पुत्र चेतनराम 1/3जालाराम पुत्र चेतनराम 1/4चूनाराम पुत्र चेतनराम 2. भंवराराम पुत्र प्रभूराम 3. रासाराम पुत्र प्रभूराम 4. शिवलाल पुत्र प्रभूराम 5. हरखाराम पुत्र प्रभूराम का.मु. 5/1बिहारी पुत्र हरखाराम 5/2चनणी पत्नी हरखाराम जाति कुम्हार निवासी मणिहारी पोस्ट हड़वा तहसील शिव जिला बाड़मेर	1. पुरखाराम पुत्र सुखाराम का.मु. 1/1रिड़मलराम पुत्र पुरखाराम के कायम मुकाम 1/1/1कलाराम पुत्र रिड़मलराम 1/1/2महेन्द्र कुमार पुत्र रिडमलराम 1/1/3पुराराम पुत्र रिडमलराम 1/1/4कस्तुरी पत्नी रिडमलराम 1/2रामाराम पुत्र पुरखाराम 1/3गोपाराम पुत्र पुरखाराम 1/4भगवानाराम पुत्र पुरखाराम 1/5सोनी पत्नी पुरखाराम 2. नथाराम पुत्र सुखाराम 3. देदाराम पुत्र सुखाराम 4. अमृताराम पुत्र उतमाराम 5. गंगाराम पुत्र उतमाराम जातियान कुम्हार निवासी मणिहारी तहसील शिव जिला बाड़मेर 6. श्रीमान तहसीलदार शिव 7. एस बी बी जे (एस बी आई) बैंक शाखा शिव

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 40/2007

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बअनवान पुरखाराम वगैरा बनाम चेतनराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.07.2012 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री बांकाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेंटस बावजूद सूचना अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—18.10.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 07 के संयुक्त खातेदारी व रहवासीय कब्जा तथा काश्त की भूमि खसरा संख्या 426, 427, 429, 442 रकबा क्रमशः 2.17 बीघा, 81.19 बीघा, 07.08 बीघा, 58.15 बीघा मौजा मणिहारी एवं भैरपुरा के खसरा नं. 4 रकबा 185.05 बीघा पटवार क्षेत्र हडवा तहसील शिव जिला बाड़मेर में आया हुआ है, जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 07 की संयुक्त खातेदारी की भूमि में वादीगण का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 07 का 2/3 हिस्सा खातेदारी है तथा माफिक कब्जा काश्त विभाजन कर बंटवाडा किये जाने तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे इस आशय का वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के नाम से जारी सम्मनों पर वादीगण ने तामिल कुन्निदा से मिलावट कर तामिल नहीं होने दिये तथा अपीलांट के फर्जी हस्ताक्षर व अगुष्ठ निशान कर अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दिये, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की सम्यक तामील मानते हुए अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलाट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांटगण अपीलाधीन आराजी के रेकर्डेड खातेदार है तथा एक रेकर्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय पारित करने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को भी हनन हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार शिव को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार शिव द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय जिस विभाजन प्रस्ताव के अनुसार पारित की गई वो मौके पर कब्जा काश्त के विपरित तैयार किया गया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार शिव द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bound सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.05.2010 की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए पारित की उक्त विभाजन प्रस्ताव को तैयार करते वक्त अपीलांट को सूचना/नोटिस दिये बिना मौके पर कब्जा काश्त के विपरित तैयार किया गया। बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 40/2007 बअनवान पुरखाराम वगैरा बनाम चेतनराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.07.2012 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे/मार्ग को मद्देनजर रखते हुए रखते हुए वाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.11.2022 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 18.10.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर